

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 183/06

संस्थित दिनांक-27.11.2006

फाईलिंग नंबर-230303000082006

1. सरमन पुत्र गोकुल आयु 47 साल  
निवासी खेरिया थापक परगना मेहगांव
2. रामकिशन पुत्र राजाराम कोरी निवासी  
आंतरी जिला ग्वालियर (फोट)
3. परशुराम पुत्र गैदालाल जाटव उम्र 49 साल
4. फूला पत्नी सरमन जाटव उम्र 44 साल  
जाति जाटव निवासी मालनपुर परगना गोहद

.....अपीलार्थीगण/आरोपीगण

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल अपर लोक अभियोजक  
अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री एम०एस० यादव अधिवक्ता

न्यायालय-श्री आर०पी० सोनकर, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक  
प्रकरण क्रमांक-622/97 में पारित निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक  
28.10.06 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

**-::- निर्णय -::-**

(आज दिनांक **21 जनवरी-2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपीगण की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री आर०पी०सोनकर द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 622/97 में दि०- 28.10.06 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थीगण को धारा-452 भा०दं०सं० के अपराध के लिये एक एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा-326 भा०द०वि० में दोषी न पाते हुए धारा-324/34 भा०द०सं० में दोषी पाकर उक्त अपराध के लिये एक एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण की आहता

अंगूरीबाई घटना दिनांक को आरोपी/अपीलार्थी रामकिशन की पत्नी थी और आरोपिया फूलाबाई का पति आरोपी/अपीलार्थी सरमन है। तथा यह भी निर्विवादित है कि आहत अंगूरीबाई का पूर्व पति नारायण था जिससे उसके संबंध विच्छेद हो जाने के तीन साल बाद अर्थात् घटना के 15-16 साल पहले आरोपी/अपीलार्थी रामकिशन से उसकी शादी हुई थी जिससे उसकी दो लड़कियाँ रानी व लक्ष्मी हैं तथा यह भी उल्लेखनीय है कि अपील के दौरान अपीलार्थी रामकिशन की मृत्यु हो गयी है जिसके कारण उसके विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही समाप्त की गई है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-08.09.97 को 23.00 बजे फरियादिया अंगूरी बाई अपने मकान में अपने बच्चों सहित सो रही थी। उसका पति रामलखन उसके पास नहीं रहता है बल्कि फूला के घर रहता है। वह रामकिशन से बच्चों को खिलाने पिलाने की कहती तो वह नहीं खिलाता है बल्कि सारी कमाई फूला को देता है। तथा इसी कारण घटना दिनांक को उसका पति रामकिशन, सरमन, फूला व परशुराम उसके घर में घुस आये और उसे सोते में सभी ने दबा लिया। तथा उसके पति रामकिशन ने चाकू से उसकी नाक काट ली जिससे नाक का दाहिने तरफ का बगल वाला हिस्सा अलग कट गया। घटना उसकी लड़कियों ने देखी तो सभी लोग फूला के घर की तरफ भाग गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अप0क0-167/97 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-452, 326/34 भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उनका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थीगण/आरोपीगण को धारा-धारा-452 भा0दं0सं0 के अपराध के लिये एक एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा-326 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषी न पाकर धारा-324/34 भा0दं0सं0 में दोषी पाते हुए उक्त अपराध के लिये एक एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलार्थीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि फरियादिया अ0सा0-1 अंगूरीबाई द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में बताया गया है कि वह अपने घर पर सो रही थी और उसकी दोनों बच्ची रानी व लक्ष्मी उसके साथ थीं। जबकि रानी व लक्ष्मी अ0सा0-3 व 4 ने अपने कथनों में बताया है कि वह तो नौ बजे सो गये थे और सुबह छः बजे जागे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें घटनाकी कोई जानकारी नहीं है। फरियादिया अंगूरीबाई अ0सा0-1 ने घटना के समय अपना मकान में होना बताया है जबकि उसका कोई

मकान नहीं है बल्कि उसका मकान अन्य किसी स्थान पर है। फिर भी जिस स्थान पर घटना घटित हुई है, मकान मालिक घटना के पास में ही उसी मकान में अपने परिवार सहित रहता है। जबकि उनकी उपस्थिति अंगूरीबाई ने नहीं दर्शाई है। क्योंकि अगर घटना सही होती तो उन्हें भी जानकारी होती। आरोपी रामकिशन व फरियादिया अंगूरीबाई जो कि पति पत्नी हैं, और उनके आपसी विवाद होने से उन्हें झूठा फंसाया है। तथा फरियादिया एवं उसके बच्चों के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इससे भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र उनके कथनों पर से ही दोषसिद्धि की जाने में गंभीर त्रुटि की है।

6. आहत अंगूरीबाई का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 09.07.97 को हुआ है जबकि घटना दिनांक 09.09.97 की है इस बिन्दु को भी न्यायालय ने अनदेखा किया है। तथा डॉ० ए०के० जैन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं कराई गई है जो कि एक गंभीर भूल है। अतः उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने गंभीरता से विचार कर उन्हें गलत रूप से दोषसिद्ध किया है। अतः उनके विरुद्ध पारित दोषसिद्ध के निर्णय दिनांक 28.10.06 को निरस्त किया जाकर उनकी अपील स्वीकार कर उन्हें दोषमुक्त कर अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।

07. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

### —:: निष्कर्ष के आधार ::—

08. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया।

09. आरोपी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील ज्ञापन में लिये गये आधारों मुताबिक तर्क करते हुए मूलतः इस बात पर बल दिया है कि आरोपी रामकिशन अपनी पत्नी अंगूरीबाई और पुत्रियों रानी व लक्ष्मी के साथ ही रहता है और फूलाबाई अपने पति सरमन और भाई परशुराम के साथ अलग रहती है और बच्चों के उपर से उनका विवाद है। उसी रंजिश पर से अंगूरीबाई ने झूठी रिपोर्ट कर दी थी। फूलाबाई को अपने आवास की टीन ठीक करते समय लोहे की टीन के खिसक जाने से नाक में उसके कोने की लग गई थी और रामकिशन अंगूरीबाई का घरेलू विवाद था। वह मायके जाना चाहती थी जिसे रामकिशन ने रोका था। इसी बात पर से

उसने झूठा मामला पंजीबद्ध करा दिया और झूठी साक्ष्य दी है। इस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। घटना का किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थन नहीं है। और मकान मालिक द्वारा आरोपी/अपीलार्थीगण द्वारा लिये गये बचाव के आधार का समर्थन किया है जिसकी साक्ष्य को दृष्टिओझल किया गया है। जबकि बचाव साक्ष्य भी अभियोजन साक्षी की तरह ही ग्राह्य योग्य होता है तथा विरोधाभाष गंभीर स्वरूप के आये हैं जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। चिकित्सक की साक्ष्य में मेडिकल परीक्षण की दिनांक और एफ0आई0आर0 में बताई गई घटना दिनांक में करीब दो माह का अंतर है जिससे भी घटना संदिग्ध है और चिकित्सीय साक्ष्य से ही ग्राह्य योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और गलत तरीके से दोषसिद्धि की गई है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जावे।

10. इसके विपरीत अभियोजन की ओर से विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा यह तर्क किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर आई साक्ष्य का उचित और सकारण मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष निकाले हैं। तथा स्वाभाविक साक्ष्य आई है और घटना रात के समय की है। घटना में मौजूद पुत्रियों के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है और झूठी साक्ष्य देने का कोई भी आधार नहीं है तथा बचाव साक्षी के द्वारा आरोपीगण के कहे अनुसार अभिसाक्ष्य दिया गया है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अविश्वसनीय मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। चिकित्सीय साक्ष्य से भी घटना का समर्थन होता है। और एम0एल0सी0 की दिनांक के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में स्पष्टीकरण दिया है कि वह टंकण त्रुटि मानवीय भूल से हुई है। इसलिये अपील निराधार है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डाज्ञा पुष्टि योग्य है। इसलिये अपील निरस्त की जावे।

11. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का परिशीलन किया गया। प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 मुताबिक बताई गई घटना दिनांक 08.09.97 के रात करीब 11.00 बजे की है और फरियादी अंगूरीबाई के मकान की बताई गई है जिसमें सोते समय आरोपीगण के द्वारा आकर रामकिशन के द्वारा चाकू से अंगूरीबाई की नाक काटने, शेष अभियुक्तों के द्वारा उसको दबा लेना बताया गया है। ऐसे में प्रकरण में धारा-34 भा0दं0वि0 के संबंध में भी विश्लेषण की आवश्यकता रहेगी। अभिलेख पर जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें आहत अंगूरीबाई अ0सा0-1 के अलावा मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ0 ए0के0 बोहरे अ0सा0-2 एवं आहत की अवयस्क पुत्रियों कुमारी रानी अ0सा0-3 व लक्ष्मी अ0सा0-4, एफ0आई0आर0 लेखक प्र0आर0 कप्तानसिंह अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य कराये गये हैं। विवेचक प्र0आर0 पूरनसिंह के विचारण के दौरान फोट होने से उसका परीक्षण नहीं हुआ है। और उसकी कार्यवाही के संबंध में अ0सा0-5 के द्वारा ही अभिसाक्ष्य दिया गया है। आरोपीगण की ओर से बच्चों के विवाद पर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लेते हुए चोट के संबंध में यह मूल

आधार लिया गया है कि अंगूरीबाई और उसके पति रामकिशन टीन कस रहे थे और टीन सरकने से अंगूरीबाई मायके जाने की जिद कर रही थी जिसे रामकिशन ने रोका था। उससे नाराज होकर अंगूरीबाई ने झूठी रिपोर्ट कर दी। इस संबंध में उनकी ओर से राजेश ब0सा0-1 को बचाव साक्षी के रूप में पेश किया गया है। इन सभी साक्षियों की अभिसाक्ष्य का तथ्य परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन करना होगा।

12. परीक्षित साक्षियों में से डॉ० ए०के० बोहरे अ०सा०-2 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 09.07.97 को वह जे०ए०एच० हॉस्पिटल ग्वालियर के आकस्मिक विभाग में पदस्थ था। तब पुलिस द्वारा लाये जाने पर उसने अंगूरीबाई पत्नी रामकिशन उम्र 30 साल निवासी मालनपुर का परीक्षण किया था। जिसके दाहिनी तरफ नाक की ऐला (नथूना) पर 1 गुणित 0.5 से०मी० का आरपार कटा हुआ घाव खड़े में पाया था। जिससे खून आ रहा था। जो चोट सख्त व धारदार हथियार से परीक्षण करने से छः घण्टे के भीतर की होना प्रतीत होती थी। उसने आहत अंगूरीबाई का ई०एन०टी० विभाग में इलाज एवं विशेषज्ञ राय हेतु भेजा था। प्र०पी०-2 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई थी। पैरा-2 में उक्त चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की है कि उक्त चोट जमीन पर गिरने और पत्थर पर गिरने से आ सकती है। धारदार पत्थर पर गिरने से आ सकती है। उक्त चिकित्सक की अभिसाक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से यह तकनीकी आपत्ति ली गई है कि घटना दिनांक 08.09.97 के रात की बताई गई है और चिकित्सक मेडिकल परीक्षण करना दिनांक 09.07.97 का बताता है इससे ही घटना दूषित हो जाती है। इस संबंधमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-13 में स्थिति स्पष्ट की है। प्र०पी०-2 की एम०एल०सी० रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि आहत अंगूरीबाई का मेडिकल परीक्षण दिनांक 09.09.97 के सुबह करीब 3.10 बजे किया गया था और प्र०पी०-1 की एफ०आई०आर० मुताबिक घटना दिनांक 08.09.97 के रात करीब 11.00 बजे की बताई गई है अर्थात् परीक्षण घटना के छः घण्टे के भीतर ही हुआ है। कथन शीट में प्रथम पंक्ति में दिनांक 09.07.97 अंकित हो जाना टंकणीय त्रुटि ही ऐसी स्थिति में प्रकट होता है क्योंकि प्र०पी०-2 की एम०एल०सी० रिपोर्ट में दिनांक व समय बाबत या विवरण में किसी भी प्रकार की कोई ओव्हरराइटिंग नहीं है। इसलिये दिनांक के संबंध में उठाया बिन्दु कतई महत्व नहीं रखता है। और यही माना जायेगा कि अंगूरीबाई का मेडिकल परीक्षण दिनांक 09.09.97 को सुबह 3.10 बजे हुआ था। अर्थात् जो एफ०आई०आर० मुताबिक घटना बताई गई है उस समय की चोट होना चिकित्सीय साक्ष्य से परिलक्षित होता है।

13. बचाव पक्ष की ओर से राजेश ब०सा०-1 का जो साक्ष्य पेश किया है उसने अपने अभिसाक्ष्य में अंगूरीबाई को चोट आने की तो स्वीकारोक्ति की है किन्तु वह टीन कसते समय टीन का कौना नाक में लग जाने से चोट आना कहता है। लेकिन बचाव साक्षी का अभिसाक्ष्य इस कारण विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि एक ओर तो परीक्षण से छः घण्टे के भीतर की जो चोट है उससे अंगूरीबाई को चोट रात्रि के समय

आना परिलक्षित होता है और बचाव साक्षी ने ऐसा नहीं कहा है कि रात के समय टीन को कसा जा रहा था, टीन कहाँ कसी जा रही थी, यह भी उसने स्पष्ट नहीं किया है। जबकि उसके मुताबिक फरियादी उसके गौंडा में ही रहती थी। प्र0पी0-3 का जो नक्शामौका अभिलेख पर है उसके संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं है और नक्शामौका मुताबिक घटनास्थल अंगूरीबाई का किरायाधीन मकान बताया गया है जो जानकीराम का है। और उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि किरायाधीन मकान टीनशेड के रूप में था। तथा परीक्षित चिकित्सक से बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई सुझाव देकर राय भी नहीं ली गई है कि आहत अंगूरीबाई को पाई गई चोटें टीन कसते समय खिसकने से उसके कोने से आना संभावित है या नहीं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो चोटें पाई गई हैं वह खड़ी अवस्था में हैं। यदि टीन के कोने से चोट लगोगी तो वह नुकीली प्रकृति की होना चाहिए। या उसका आकार खड़े में न होकर आड़ा हो सकता है।

14. जहाँ तक इस संबंध में चिकित्सक को यह सुझाव दिया गया है कि वह नुकीले पत्थर पर गिरने से संभावित है किन्तु घटनास्थल पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे आहत नुकीले पत्थर पर मुंह के बल गिरी हो और उससे चोट आई हो और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति मुंह के बल किसी नुकीले पत्थर पर गिरे तो उसे नाक के अलावा चेहरे पर अन्य जगह भी अन्य प्रकार की चोटें आयेंगी। जबकि ऐसा हस्तगत मामले में नहीं है। इसलिये बचाव पक्ष का लिया गया यह आधार कि नुकीले पत्थर पर गिरने से चोटें आई या टीन के कसने पर खिसकने से आई, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह सुस्थापित विधि है कि बचाव साक्षी को भी अभियोजन साक्षी की तरह ही महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टांत **जनरैलसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए0आई0आर0 1996 सुप्रीमकोर्ट पेज-755** में मार्गदर्शन दिया गया है। किन्तु राजेश ब0सा0-1 उस श्रेणी का साक्षी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके क्योंकि वह अपनी अभिसाक्ष्य में यहाँ तक कहता है कि चोट लगने पर वह अपने पति रामकिशन से नाराज होकर मायके जाना चाहती थी और उसे रामकिशन ने जाने नहीं दिया इसी पर उसने झूठी रिपोर्ट कर दी। पैरा-2 में उसने रिपोर्ट टीन का कोना लगने के दो तीन दिन बाद करना बताया है जबकि चिकित्सीय साक्ष्य मुताबिक घटना के पश्चात छः घण्टे के भीतर की चोट है और रिपोर्ट भी बिना किसी अनुचित विलंब के की गई है। ऐसी स्थिति में बचाव साक्षी भी बिन्दु पर भरोसे योग्य नहीं है। न ही उससे यह माना जा सकता है कि आरोपी रामकिशन अपनी पत्नी व बच्चों के साथ ही रहता है। क्योंकि पति पत्नी के निजी मामले में किसी तृतीय पक्ष को जानकारी होना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है जब तक कि किसी के द्वारा जानकारी न दी जावे। ऐसी स्थिति में बचाव साक्ष्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविश्वास कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। और बचाव साक्षी की अभिसाक्ष्य से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तथा यह पाया जाता है कि घटना का चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्ण समर्थन होता है जिससे घटना के बताये गये समय की अंगूरीबाई की चोट होना प्रमाणित होता है।

15. अब यह देखना है कि क्या वह चोट आरोपीगण द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा ही पहुंचाई गई? कथानक में अंगूरीबाई को पाई गई चोटें सके पति रामकिशन द्वारा धारदार अस्त्र चाकू से मारपीट कर पहुंचाई जाना बताया गया है और शेष अभियुक्तों के सामान्य आशय क अग्रसरण में उसका सहयोग करना बताया गया है।

16. इस संबंध में आहत अंगूरीबाई अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि घटना रात के करीब 11.00 बजे की है। वह अपने घर के कमरे में अपनी बच्चियों के साथ सो रही थी। उस समय रामकिशन, सरमन, परशुराम व फूला उसके घर में घुस आये थे और सभी एकसाथ आये थे। फूला, परशुराम और सरमन ने उसे दाब लिया था। तब वह खटिया पर सो रही थी और रामकिशन ने चाकू से उसके दाहिनी तरफ की नाक का नथूना काट दिया था। चिल्लाने पर उसकी पुत्रियाँ जाग गई थीं और पुत्री लक्ष्मी व रानी उससे लिपटने लगी थीं। नाक काटकर आरोपीगण फूला के घर की ओर भाग गये थे। फिर उसने तुरंत थाने जाकर प्र0पी0-1 की रिपोर्ट की थी। साक्षिया को रिपोर्ट पढ़कर सुनाये जाने पर उसने प्र0पी0-1 की तरह रिपोर्ट करना और थाने से उसे लश्कर अस्पताल भेजना बताया है। जहाँ उसकी डॉक्टरी हुई है। इससे भी आहत का जो अ0सा0-2 द्वारा किया गया मेडिकल परीक्षण है, उसकी पुष्टि होती है।

17. अंगूरीबाई अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य में पैरा-3 में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस घटना के पहले से आरोपीगण के विरुद्ध एक और आपराधिक मामला उसका चल रहा है और उस पर से रंजिश है। उसका यह भी कहना है कि पहले भी उक्त आरोपीगण ने उससे झगडा किया था और उसे मारा था। उसमें परशुराम शामिल नहीं था जिसकी उसने रिपोर्ट की है। इस तरह से घटना के पूर्व से रंजिश का बिन्दु पक्षकारों के मध्य अवश्य विद्यमान है किन्तु रंजिश एक ऐसी दुधारु तलवार की तरह होती है जो दोनों तरफ से वार करती है। अर्थात् जहाँ एक ओर रंजिशन झूठा फंसाये जाने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है कि रंजिश के कारण ही घटना को अंजाम दिया जाये। ऐसे में प्रत्येक प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों पर से यह निष्कर्ष निकालना होता है कि रंजिश के बिन्दु का किस पक्ष को बल प्राप्त होता है। हस्तगत मामले में बचाव पक्ष की ओर से बच्चों के विवाद पर से रंजिश बताई गई है जबकि ऐसा हस्तगत मामले की अभिसाक्ष्य में नहीं आया है बल्कि पूर्व की घटना का भी आपराधिक मामला दर्ज होना बताया गया है। ऐसे में रंजिश के बिन्दु का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

18. अंगूरीबाई अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उसका पूर्व पति नारायण था जिससे संबंध विच्छेद होने के तीन साल बाद उसका रामकिशन से विवाह हुआ था जिसे भी 15-16 साल हो गये हैं। उसने यह भी कहा है कि घटना के 15 दिन पूर्व से उसके पति रामकिशन उसके साथ न रहकर फूला के यहाँ रह रहा था। और घर नहीं आया था।



कथानक में भी घटना की उत्पत्ति इसी रूप में बताई गई है कि अंगूरीबाई का पति रामकिशन फूला के घर रहता था तथा उसका व उसकी पुत्रियों का भरणपोषण नहीं करता था जिस पर से विवाद था और उसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में मूल घटना के कारण बाबत अंगूरीबाई अ0सा0-1 की साक्ष्य में सकारात्मक अभिसाक्ष्य आई है जिसकी उसकी दोनों पुत्रियों रानी अ0सा0-3 व लक्ष्मी अ0सा0-4 जो क्रमशः 15 एवं 12 वर्षीय अवयस्क संताने घटना के समय थीं, उन्होंने भी अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जब उसकी माँ अंगूरीबाई और वह घर में सो रही थीं तब सोते में पिता रामकिशन ने आकर उनकी माँ की दाहिनी नाक चाकू से काट दी थी और शेष आरोपीगण ने उसकी माँ के सोते में ही पकड़ लिया था और माँ के चिल्लाने पर चारों भाग गये थे। इस तथ्य का रानी अ0सा0-3 व लक्ष्मी अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य में कोई खण्डन नहीं हुआ है।

19. बाल साक्षियों के संबंधमें साक्ष्य विधान 1872 की धारा-118 सक्षम साक्षी के बिन्दु पर स्पष्ट है और विधि में किसी साक्षी के सक्षम साक्षी होने के लिये उम्र का कोई मापदण्ड नहीं है कि न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, या अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए बल्कि मूलतः यह देखा जाता है कि साक्षी प्रश्नों को समझने और उनका युक्तियुक्त उत्तर देने में सक्षम है या नहीं। अ0सा0-3 रानी व अ0सा0-4 लक्ष्मी के अभिसाक्ष्य में उनकी अभिसाक्ष्य लेने के पूर्व प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो उनकी शारीरिक व बौद्धिक क्षमता का आंकलन किया गया है उसमें उन्होंने प्रश्नों को समझकर समुचित उत्तर दिये हैं और उन्हें सक्षम साक्षी मानते हुए ही परीक्षित किया गया है। ऐसे में अ0सा0-3 रानी व अ0सा0-4 लक्ष्मी सक्षम साक्षी हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **दत्तूरामा राव शेखरे विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1997) 5 एस0सी0सी0 पेज-341** अवलोकनीय है। और रानी अ0सा0-3 ने तो पैरा-3 में मौके पर चिमनी की रोशनी भी बताई है। तथा आरोपीगण में से किसके द्वारा कैसे उसकी माँ को पकड़ा गया था, यह भी स्पष्ट किया गया है। ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों से अंगूरीबाई अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य का पूर्ण समर्थन होता है और उन पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे अंगूरीबाई की संतानें होकरप उसके साथ रहती हैं इसलिये उसके प्रभाव में आकर साक्ष्य देती हैं क्योंकि प्रकरण में मूल अभियुक्त उनका पिता ही है तथा उनकी अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे किसी पूर्व की रंजिश या बुराई के आधार पर पिता के अलावा शेष अभियुक्तगण को असत्य रूप से अभियोजित किया गया हो।

20. जहाँ तक घटना का निष्पक्ष या किसी स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन न होने का प्रश्न है, घटना रात्रि के करीब 11.00 बजे की है। और साक्ष्य में यह तथ्य भी अंगूरीबाई द्वारा पैरा-6 में स्पष्ट किया गया है कि घटनासील के आसपास कोई मकान नहीं है बल्कि दूरी पर है इसलिये उसे बचाने नहीं आया। नक्शामौका प्र0पी0-3 में फरियादिया के मकान से लगे हुए अन्य मकानों की स्थिति बताई गई है जो किरायाधीन थे। किन्तु घटना रात्रि के करीब 11.00 बजे की है। ऐसे में आसपास के व्यक्ति का न



आना या साक्षी न होना अभियोजन के लिये घातक नहीं है क्योंकि जो घटना घटित होना बताई गई है उसमें मूलतः पति के द्वारा नाक काटना बताया गया है जिसमें अन्य अभियुक्तों का सहयोग बताया गया है। ऐसे में उक्त परिस्थितियों में हस्तगत मामले में स्वतंत्र साक्ष्य के समर्थन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिये आसपास का कोई व्यक्ति साक्षी न होने का लिया गया आधार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

21. अंगूरीबाई अ०सा०-1 जो कि घटना की आहता है, वह सर्वाधिक महत्व की साक्षी है और आहत व्यक्ति का विधि में विशेष स्थान होता है क्योंकि वह घटनास्थल पर उपस्थिति की इन्विल्ट गारंटी रखता है। और उसके बारे में ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वह असल अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को असत्य रूप से फंसायेगा। हस्तगत मामले में ऐसे कोई सुदृढ और अच्छे आधार पेश नहीं हैं जिससे यह माना जा सके कि फरियादिया अंगूरीबाई के द्वारा आरोपीगण को असत्य रूप से ही अभियोजित किया गया। क्योंकि उसने पूर्व में भी परशुराम व अन्य लोगों के द्वारा मारपीट किया जाना और उसका भी प्रकरण पंजीबद्ध होना बताया गया है जिसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसे में प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **अब्दुल सैयद बनपाम स्टेट ऑफ़ एम०पी०(2010) वोल्यूम-10 एस०सी०सी० पेज-259** का मार्गदर्शन अवलोकनीय है। ऐसे में अंगूरीबाई अ०सा०-1 के अभिसाक्ष्य को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। जिसके द्वारा प्रतिपरीक्षा में सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर भी दिया गया है।

22. प्रकरण में आहता अंगूरीबाई की चोट के संबंध में जो चिकित्सीय साक्ष्य है उसमें प्र०पी०-2 की एम०एल०सी० रिपोर्ट के आधार पर पाई गई चोटें सख्त व धारदार हथियार की बताई गई हैं उसके आधार पर चेहरे का कोई स्थाई विद्रुपीकरण या चोटें गंभीर स्वरूप की होने के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य में अभिलेख पर नहीं आया है। ऐसे में उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे अंगूरीबाई की कारित चोट से चेहरे का कोई विद्रुपीकरण होता हो। ऐसे में विशेषज्ञ राय के अभाव में प्र०पी०-2 की प्रमाणित चोट को साधारण प्रकृति की ही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त चोट के आधार पर धारा-324 भा०दं०वि० का अपराध प्रमाणित मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। क्योंकि आरोप धारा-326 भा०दं०वि० के अंतर्गत विरचित किया गया था और धारा-324 उसका लघुत्तर अपराध है। जिसमें दोषसिद्धि विधिक रूप से की जा सकती है।

23. प्रकरण में इस आशय की भी स्पष्ट साक्ष्य आई है कि जिसमें चारों आरोपी/अपीलार्थीगण का एकसाथ घटना में शामिल होकर सक्रिय रूप से भाग लिया जाना स्थापित है क्योंकि रामकिशन के द्वारा मूल चोट पहुंचाई गई और शेष अभियुक्तों के द्वारा आहता को पकड़कर सामान्य आशय के अग्रसरण में सक्रिय सहयोग किया गया। इस संबंध में माननीय

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **जीतू सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2004 भाग-2 जे0एल0जे0-83** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि जहाँ सभी अभियुक्तों के द्वारा घटना में भाग लिया जाना आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षियों, मेडिकल रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 इत्यादि साबित हों तो धारा-34 भा0द0वि0 आकर्षित होगी। जो इस प्रकरण में उक्त स्थिति में लागू किये जाने योग्य है। अतः ऐसे में धारा-324 सहपठित धारा-34 भा0द0वि0 में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि विधिसम्मत होकर पुष्टि योग्य है।

24. प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 आहता अंगूरीबाई अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में लेखबद्ध करना बताया है और प्र0आर0 कप्तानसिंह अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में अंगूरीबाई की रिपोर्ट पर से प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 उसके कहे अनुसार लेखबद्ध करना तथा अंगूरीबाई को रिपोर्ट पढ़कर सुनाया जाना, उसके पश्चात उसके एफ0आई0आर0 पर अंगूठा निशानी कराना कहा है जिसके संबंध में प्रतिपरीक्षा में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं। अंगूरीबाई ने भी एफ0आई0आर0 साक्ष्य के दौरान पढ़कर सुनाये जाने पर सकारात्मक साक्ष्य दी है जिससे प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 प्रमाणित होती है। और अ0सा0-1, अ0सा0-3 व अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य में घटना घर के भीतर की बताई गई है। प्र0पी0-3 के नक्शामौका में भी घटनास्थल घर के अंदर दर्शाया गया है। जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। इसलिये शेष विवेचना करने वाले प्र0आर0 पूरनलाल की विचारण के दौरान फोटो हो जाने से विवेचना के संबंध में अ0सा0-5 के द्वारा दिये गये इस साक्ष्य से अभियोजन को बल प्राप्त होता है।

25. घटना आहत के आवास की स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। तथा उपलब्ध साक्ष्य में घटना रात्रि के 11.00 बजे अर्थात् सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व की ही है। ऐसे में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये पूर्व तैयारी के साथ घर में प्रवेश करना प्रछन्न गृह अतिचार की परिधि में आता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोप पत्र में रात्रि की ही बात बताई है किन्तु धारा 452 भा0द0वि0 अंकित की है जबकि रात्रि की इस तरह की घटना में धारा-456 भा0द0वि0 आकर्षित होती है। यह एक तकनीकी त्रुटि है। चूंकि अभियोजन की ओर से कोई काउण्टर अपील नहीं है ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर अपील ज्ञापन में भी कोई स्पष्ट आधार नहीं लिया गया है और न ही अंतिम तर्कों में बताया गया है इसलिये उसके संबंध में और अधिक निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। और घटना चूंकि घर के भीतर की होना प्रमाणित है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि को यथावत रखा जाना ही उचित होगा। अतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।

26. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, अपीलार्थी/आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि मूल आरोपी रामकिशन था जो फोटो हो चुका है। जिसके द्वारा ही अपनी पत्नी को नाक काटकर उपहति पहुंचाई गई थी शेष अभियुक्तगण की उसमें कोई भूमिका नहीं रही

और वे ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति होकर ग्रहस्थ हैं तथा वर्तमान में प्रौढ अवस्था में हैं। तथा घटना सन् 1997 की होकर करीब 17-18 साल पुरानी है और आरोपी/अपीलार्थीगण तब से अभियोजन का सामना करते चले आ रहे हैं। तथा प्रथम अपराधी हैं। उनके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। अर्थदण्ड उनके द्वारा पूर्व में जमा किया जा चुका है और फूलाबाई स्त्री है इसलिये उन्हें सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। या केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ दिया जावे जिसका अभियोजन की ओर से ए 0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है।

27. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों में पर भी चिंतन किया गया। यह सही है कि अंगूरीबाई को चोट पहुंचाने वाले मुख्य अभियुक्त रामकिशन का अपील के दौरान निधन हो चुका है। और अभिलेख पर आरोपी/अपीलार्थीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है जिससे उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है। किन्तु इन आधारों पर और उम्र के आधार पर वे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा-3 या 4 के तहत लाभ की पात्रता इसलिये नहीं रखते हैं क्योंकि झगड़े का मूल कारण फूलाबाई ही रही है। और यदि विचाराधीन अपीलार्थी/आरोपीगण रामकिशन का घटना के समय सहयोग नहीं करते तो संभवतः घटना कारित ही नहीं होती। इसलिये आधार पर भी दोषसिद्ध अपराध में केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए व दण्डादेश पारित करते समय न केवल आरोपी की स्थिति पर चिंतन किये जाने की आवश्यकता होती है बल्कि आहत व्यक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए। तथा सामाजिक परिवेश को भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है। क्योंकि विधि में शासन तभी फलित हो सकता है जबकि विधि के प्रत्येक जनसामान्य के सम्मान की धारणा जाग्रत रहे और सर्व समाज के लिये विधि का पालन करना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को हिंसा के माध्यम से कोई विवाद का निराकरण करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दण्डादेश के बिन्दु पर किया गया तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि आरोपी परशुराम लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहा है जिसके कारण भी अपील विलंबित रही है।

28. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दोनों धाराओं 452 एवं 324/34 में एक एक वर्ष के साधारण कारावास और 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। विचारण की अवधि और वर्तमान समय तक व्यतीत अवधि को देखते हुए और मूल अभियुक्त रामकिशन के फोटो हो जाने के मद्देनजर विचाराधीन अपीलार्थी/आरोपीगण सरमन पुत्र गोकुल कोरी, परशुराम पुत्र गैदालाल जाटव एवं फूला पत्नी सरमन जाटव को दोनों धाराओं में छः-छः माह के साधारण कारावास व अर्थदण्ड को यथावत रखते हुए दण्डित किया जाना उचित व न्यायसंगत पाया जाता है और उससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति भी संभव है। अतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर दण्डाज्ञा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर

विचाराधीन अपीलार्थीगण को उक्त दोनों धाराओं में छः-छः माह के साधारण कारावास से अर्थदण्ड को यथावत रखते हुए दण्डित किया जाता है।

29. अपीलार्थी/आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30. अपीलार्थी परशुराम न्यायिक निरोध में है तथा शेष अपीलार्थी/आरोपीगण फूलाबाई व सरमन को भी न्यायिक अभिरक्षा में लेकर और उनके सुपरसेशन वारण्ट तैयार कर कारावास की दण्डाज्ञा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा जावे। अर्थदण्ड उनके द्वारा पूर्व से ही विचारण न्यायालय में जमा किया जा चुका है।

31. आरोपी/अपीलार्थी फूलाबाई विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में रही है। आरोपी/अपीलार्थी परशुराम व सरमन विचारण दौरान न्यायिक निरोध में हैं उनकी न्यायिक निरोध की अवधि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके सजा वारण्टों पर अंकित की गई है। उसी अनुसार धारा-428 द0प्र0सं0 का पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर सुपरसेशन वारण्ट के साथ व्यतीत कारावासकी दण्डाज्ञा को समायोजित किये जाने हेतु संलग्न कर भेजा जावे। तथा आरोपी/अपीलार्थीगण की कारावास की दोनों सजाएँ एकसाथ भुगताई जावें।

32. प्रकरण में जप्तशुदा चाकू के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कण्डिका-21 के निष्कर्ष को एवं आहत अंगूरीबाई को क्षतिपूर्ति के संबंध में निर्णय की कण्डिका-20 के निष्कर्ष को यथावत रखा जाता है।

33. निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क आरोपी/अपीलार्थीगण को प्रदान की जावे।

दिनांक: **21 जनवरी-2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड